

// आदेश //

क्रमांक E/6678 /
चार-3-2/2016(मुख्य)

जबलपुर, दिनांक 11/09/2017
23

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि न्यायिक स्थापनाओं द्वारा सामान्य बजट प्रस्तावों (Yearly/Supplementary) के अतिरिक्त, किसी प्रस्तावित कार्य/क्रय को सम्पन्न करने हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव भेजने के पूर्व, बजट माँग का प्रस्ताव इस रजिस्ट्री को भेजा जाता है।

कार्य/क्रय करने की सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के पूर्व बजट आबंटन की स्थिति में बजट व्यपगत या अनावश्यक खर्च की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी रहती है।

अतः यह उचित है कि न्यायिक स्थापनाएं अपनी आवश्यकता के दृष्टिगत कार्य की सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति एवं बजट आबंटन का प्रस्ताव एक साथ इस रजिस्ट्री को प्रेषित करें, बजट की उपलब्धता के आधार पर संबंधित अनुभागों द्वारा कार्य/क्रय के संबंध में सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत बजट आबंटन सौंपे जाने की कार्यवाही की जावेगी।

यह प्रक्रिया सामान्य बजट प्रस्तावों (Yearly/Supplementary) के अतिरिक्त की जाने वाली बजट माँग पर लागू होगी।

का.०/५०
(मो. फहीम अंसवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक E/6679 /
चार-3-2/2016(मुख्य)

जबलपुर, दिनांक 11/09/2017
23

प्रतिलिपि :-

- (1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश,.....(म०प्र०)
- (2) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ,.....(म०प्र०)
- (3) विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय(एट्रोसिटीज),.....(म०प्र०)
- (4) प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर, खंडपीठ इंदौर
- (5) प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर, खंडपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर ग्वालियर
- (6) रजिस्ट्रार(आई०टी०)(एस०ए०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड करवाने तथा पृष्ठांकन के अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 की प्रतियां ई-मेल के जरिये भी प्रेषित किये जाने हेतु अग्रेषित।
- (7) ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
- (8) रिफरेंस लाइब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (9) अनुभाग अधिकारी (लेखा)/(जिला स्थापना)/(कार्य-शाखा)/इंचार्ज स्टेशनरी (प्रशासन)/सहायक(कार्य-शाखा)/सहायक (जिला स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की ओर अग्रेषित कर लेख है कि न्यायिक स्थापनाओं से कार्य/क्रय संबंधी प्रस्ताव रजिस्ट्री में प्राप्त होने पर बजट नियंत्रण अधिकारी (रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश) के हक में बजट उपलब्धता की टीप रजिस्ट्री के बजट अनुभाग से प्राप्त होने के आधार पर संबंधित अनुभागों द्वारा कार्य/क्रय के संबंध में जारी की गई सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी से बजट शाखा को अवगत कराया जावे तॉकि बजट आबंटन सौंपे जाने की कार्यवाही की जा सकें।

का.०/५०

(ए०के० महोबिया)
ओ०एस०डी०(लेखा)